

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प7(549)परि/नियम/मु./2016/1062

जयपुर, दिनांक 15/11/2020

कार्यालय आदेश.....02.../2020

कार्यालय आदेश सं. 35/2016 दिनांक 30.09.2016 के द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की योजना के तहत दिनांक 31.03.2001 तक के पंजीकृत वाहनों को योजनाबद्ध तरीके से नोटिस दिये जाकर पंजीयन निलम्बन/निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त आदेश की निरन्तरता में सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31.12.2019 तक 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं करवाने वाले वाहनों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं नियमों के अधीन दी गई प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही कर पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन/निरस्त करते हुए पालना रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

(राजेश यादव)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प7(549)परि/नियम/मु./2016/1063-69

जयपुर, दिनांक 15/11/2020

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

15/11/2020
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)